

मेल

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

कार्यालयीन टीप:-

क्रमांक/कार्मिक/ख/विविध/ 29/1659

भोपाल 20/11/2024

विषय:- मंहगाई भत्ते के भुगतान किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- म. प्र. शासन वित्त विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 4-1/2024/नियम/चार दिनांक 28 अक्टूबर 2024

01 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञाप द्वारा राज्य शासन ने सातवे वेतनमान में मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर दिनांक 01.01.2024 से प्रतिमाह निम्नानुसार भुगतान किये जाने की स्वीकृत दी गई है।(उक्त ज्ञापन की छायाप्रति संलग्न है।)

अवधि जब से देय है	वर्तमान में प्रचलित मंहगाई भत्ते की दर का प्रतिशत	मंहगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत मंहगाई भत्ते की कुल दर
सातवें वेतनमान अंतर्गत दिनांक 01.01.2024 से।	46 प्रतिशत	04 प्रतिशत	50 प्रतिशत

02/ उपरोक्त वृद्धि के उपरांत मंहगाई भत्ते की दर 01 जनवरी, 2024 से कुल 50 प्रतिशत हो जायेगी।

03/ मंहगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 (भुगतान माह नवम्बर, 2024) से किया जावेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 30 सितम्बर, 2024 तक की एरियर राशि का भुगतान चार समान किश्तों में क्रमशः माह दिसम्बर 2024, जनवरी, फरवरी, एवं मार्च 2025 में किया जावेगा।

04/ दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 30 सितम्बर, 2024 की अवधि में सेवानिवृत्त/मृत हो गये हैं, उन्हें/ नामांकित सदस्य को एरियर राशि का भुगतान एकमुश्त किया जावेगा।

राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को संदर्भित ज्ञाप अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अध्याधीन नियमानुसार मंहगाई भत्ते के भुगतान की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)


18/11/24

अपर संचालक (कार्मिक)

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

(भोपाल)

प्रति,

01/ अपर संचालक/उप संचालक (वित्त)/लेखाधिकारी
मण्डी बोर्ड मुख्यालय
भोपाल।

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
बस्सभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1 / 2024 / नियम / चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर, 2024

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, खालियर,
समस्त संचारीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- शासकीय सेवकों को देय मंहगाई भत्ते की दर में जनवरी, 2024 से वृद्धि ।

म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-1 / 2024/ नियम / चार दिनांक 14 मार्च, 2024 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को 01 जुलाई, 2023 (भुगतान माह अगस्त, 2023) से सातवें वेतनमान अंतर्गत पूर्व प्रचलित मंहगाई भत्ता की दर 42% में 04% की वृद्धि करते हुये, 46% स्वीकृत कर भुगतान किया जा रहा है ।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त दरों में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार तिथि व दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये:-

अवधि जब से देय ।	वर्तमान में प्रचलित मंहगाई भत्ते की दर का प्रतिशत	मंहगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत मंहगाई भत्ते की कुल दर
सातवें वेतनमान अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2024 से	46%	04%	50%

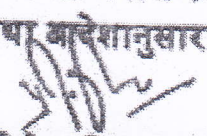
3/ उपरोक्त वृद्धि के उपरांत मंहगाई भत्ते की दर 01 जनवरी, 2024 से कुल 50% हो जायेगी ।

4/ राज्य शासन के शासकीय सेवकों को उपरोक्तानुसार मंहगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 (भुगतान माह नवम्बर, 2024) से किया जायेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 30 सितम्बर, 2024 तक की एरियर राशि का भुगतान चार समान किश्तों में क्रमशः माह दिसम्बर- 2024, जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 2025 में किया जायेगा ।

निरंतर....2

1/211

- 5/ राज्य शासन के कर्मचारी जो दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 30 सितम्बर, 2024 की अवधि में सेवानिवृत्त / मृत हो गये हैं, उन्हें / नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा।
- 6/ मंहगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- 7/ मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा।
- 8/ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के. श्रीवास्तव)
उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर, 2024

पृष्ठा. क्रमांक : एफ 4-1 / 2024 / नियम / चार
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव / निज सहायक, मान. वित्त मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन भोपाल
5. निज सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
6. आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन नई दिल्ली
7. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
9. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
10. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
12. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल

निरंतर....3